Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR SR VII
JAIPUR
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2010400003986	Date	17/06/2010
Presenter Name	SHER SINGH	Document S. No	2010400003922
Presenter/Property Address	VILL. JAGDISHPURA, TEH. KOTPUTALI, JAIPUR		
Document Type	Copies of document		
Claiment Name		Payment Mode	Cash
Face Value	0	Evaluated Value 0	Stamp Value 10

Ord- registration fee	0	commssion	0
csi_less_50000	0	csi_more_50000	0
custody	0	stamp(memorandom)	0
reg(memorandon)	0	Penalty	0
us_57	100	stamp duty	0
us_62	0	us_25_34	0
others	0	us_64_67	0
Inspection_fee	0		
		Total :	100

One Hundred Only

Cashier

Sub Registrar JAIPUR-VII

उप पंजीयक
जयपुर, सत्तम्

Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR SR VII
JAIPUR
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2010400003986	Date	17/06/2010
Presenter Name	SHER SINGH	Document S. No	2010400003922
Presenter/Property Address	VILL. JAGDISHPURA, TEH. KOTPUTALI, JAIPUR		
Document Type	Copies of document		
Claiment Name		Payment Mode	Cash
Face Value	0	Evaluated Value 0	Stamp Value 10

Ord- registration fee	0	commssion	0
csi_less_50000	0	csi_more_50000	0
custody	0	stamp(memorandom)	0
reg(memorandon)	0	Penalty	0
us_57	100	stamp duty	0
us_62	0	us_25_34	0
others	0	us_64_67	0
Inspection_fee	0		
		Total :	100

One Hundred Only

Cashier

Sub Registrar JAIPUR-VII

उप पंजीयक
जयपुर, सत्तम्

यह स्टाम्प नकल-प्रार्थना पत्र के
साथ संलग्न किया गया है।

उप पंजीयक
जयपुर, सप्तम

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

च हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

ASTHAN 011547

दान पत्र

मैं शेर सिंह पुत्र श्री गिरधारी जी यादव, जाति अहीर, आयु करीब 31 वर्ष, निवासी जगदीशापुरा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर ।

— प्रथमपक्षकार-दानकर्ता

= बहक =

श्री राधाकृष्णन शैक्षिक एवं तकनीकी विकास संस्थान, जगदीशापुरा तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर जरिये 1. अध्यक्ष श्री कँवर सिंह पुत्र श्री अमीचन्द यादव 2. सचिव श्री शेर सिंह यादव पुत्र स्व० श्री गिरधारी जी यादव निवासीगण जगदीशापुरा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर ।

— द्वितीय पक्षकार-दानग्रहिता

के हक में यह दान पत्र आज दिनांक 26-11-07 को बमुकाम जयपुर शहर में निम्न प्रकार लिपिबद्ध, निष्पादित कर देता हूँ कि :-

शेर सिंह यादव

शेर सिंह यादव सचिव

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, जयपुर-द्वितीय

यह कि प्रथम पक्षकार शेर सिंह तथा उसके भाई श्री मन्दराम की संयुक्त खातेदारी व कब्जा-काश्तशुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 373 रकबा 0·90 हैक्टर राजस्व ग्राम जगदीशपुरा तहसील कोटपुतली, पटवार क्षेत्र तख्न्ड, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नारेहड़ा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हम दोनों भाईयों के नाम से दर्ज है। मौके पर हम दोनों भाईयों ने मन बँट कर रखा है एंव अपने-अपने बँट की भूमि पर काबिज-काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि में प्रथम पक्षकार का 1/2 हिस्सा निहित है जिसका रकबा 0·45 हैक्टर बनता है। मैं प्रथम पक्षकार अपने हिस्से की भूमि पर काबिज-काश्त हूँ एंव मुझे मेरे हिस्से की भूमि का हर प्रकार से उपयोग-उपभोग करने, दान इत्यादि करने के समस्त विधिक अधिकार प्राप्त है।

यह कि द्वितीय पक्षकार एक रजिस्टर्ड शिक्षण संस्थान् है और प्रथम पक्षकार अपने 1/2 हिस्सा में से 0·25 हैक्टर अर्थात् एक बीघा कृषि भूमि को द्वितीय पक्षकार के हक में स्वेच्छा से दान करता है और यह दान पत्र यह साक्ष्यांकित करता है कि प्रथम पक्षकार ने द्वितीय पक्षकार को उक्त एक बीघा भूमि 0·25 हैक्टर का वास्तविक एंव मालिकाना भौतिक कब्जा आज दिन मौके पर सौंप दिया है और द्वितीय पक्षकार मौके पर काबिज मालिक हो गये है अब द्वितीय पक्षकार उक्त कृषि भूमि बरकबा एक बीघा अर्थात् 0·25 हैक्टर का उपयोग-उपभोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकेंगे, कृषि कार्य कर सकेंगे, लाभ अर्जित कर सकेंगे, विक्रय-हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज आदि कर सकेंगे, आम व खास मुख्त्यारआमनियुक्त कर सकेंगे जिसमें प्रथम पक्षकार व उसकी आल-औलाद, वली-वारिसान, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, प्रतिनिधि इत्यादि किसी को भी कोई उज्र, एतराज, आपत्ति, दखल, दावा, हस्तक्षेप नहीं

शेरसिंह यादव

शेरसिंह यादव

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, कोटपुतली

कर सकेंगे और यदि कोई करेगा तो वह इस दान पत्र के जरिये सर्वथा झूँठा समझा, माना एवं पटा जावेगा और उसको द्वितीय पक्षकार व उसके स्थानापन्न, प्रतिनिधि, एजेण्ट, सर्वेण्ट इत्यादि के विरुद्ध कोई हक व अधिकार उत्पन्न, सृजित एवं प्राप्त नहीं होगा।

यह कि द्वितीय पक्षकार ने उक्त भूमि बरकबा एक बीघा अर्थात् 0·25 हैक्टर दान में ग्रहण करना स्वीकार कर दान में प्राप्त कर ली है। उक्त वर्णित कृषि भूमि ख०नं० 373 में से 1/2 हिस्सा में से द्वितीय पक्षकार को दान की गई उपरोक्त भूमि बरकबा एक बीघा अर्थात् 0·25 हैक्टर को प्रथम पक्षकार ने द्वितीय पक्षकार के अलावा अन्य किसी को दान नहीं की है और न ही अन्य किसी को किसी भी प्रकार से बेचान, हस्तान्तरण, मुन्तकिल, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज आदि किया है, न ही आम व खास मुख्त्यार नियुक्त किया है, न ही किसी प्रकार का कोई सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी व जनसाधारण का कोई ऋण प्राप्त किया हुआ है, न ही बकाया है, न ही किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है, न ही किसी प्रकार की डिक्री में कुर्क है, न ही अवाप्त की हुई है, न ही अवाप्ति योजना में लंबित है। सारांश यह कि उक्त दान की गई कृषि भूमि पूर्णतया पाक, साफ व शुद्ध है और सभी प्रकार के भार, अधिभार, चार्ज से पूर्णतया मुक्त है यदि आज से पूर्व का कोई भार, चार्ज, अधिभार बकाया निकलेगा तो उसको चुकाने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्षकार का होगा तथा आज से आयद होने वाले भार, अधिभार व चार्ज इत्यादि चुकाने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा।

यह कि उक्त दान की गई भूमि मुख्य सड़क से 6 कि०मी० दूर है अन्दर की तरफ स्थित है।

शेरसिंह यादव

शेरसिंह यादव

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, जयपुर

यह कि द्वितीय पक्षकार ने उक्त भूमि बरकबा 0.25 हैक्टर अर्थात एक बीघा को दान में लेना स्वीकार करते हुए प्रथम पक्षकार से दान ग्रहण कर लिया है इसलिये प्रथम पक्षकार में निहित समस्त हक-हकूक , स्वामित्व, आधिपत्य इस दान पत्र के जरिये द्वितीय पक्षकार में निहित हो गये है।

लिहाजा यह दान पत्र प्रथम पक्षकार ने द्वितीय पक्षकार के हक में अपनी राजी खुशी, अक्ल होशियारी, बिना दबाव, बिना बहकावे, पूर्ण होशो-हवास, स्थिर बुद्धि की अवस्था में, एक किता स्टाम्प पेपर कीमती रू0 5000/- व तीन किता हरे पेपरों पर निष्पादित व हस्ताक्षरित कर दिया है और नीचे दर्ज साक्षियों की उपस्थिति में पढ़,सुन व समझ कर हस्ताक्षरित किया है जो सही है प्रमाण रहें एवं वक्त जरूरत काम आवें। इति दिनांक:-

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार-दानकर्ता :- शेरसिंह यादव

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार:-दानग्रहिता - शेरसिंह यादव

साक्षी:- 1 G.R. Rathore

साक्षी:- 2 Sunil Singh Tanwar
S/o Shree Sohan Singh
A.K. Gopalan Nagar

Drafted by
Hemant K. Sharma

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक, जयपुर-